

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [dce.oap@gmail.com](mailto:dce.oap@gmail.com) Ph.: 0141-2706106

No. F/IT/CCE/RAJKAJ/\_APP/2024/-1542

Date:

समस्त प्राचार्य/सहायक निदेशक  
राजकीय महाविद्यालय/संगीत संस्थान/क्षेत्रीय कार्यालय  
राजस्थान

विषय : अशैक्षणिक कर्मिकों के विदेश यात्रा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अशैक्षणिक कर्मिकों के विदेश यात्रा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु कर्मिकों को स्वयं की SSO-ID से राजकाज (HRMS) पर NOC Portal के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कर्मिकों को स्वयं की SSO-ID से राजकाज (HRMS) पर ऑनलाइन आवेदन के लिए चैनल निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है-

आयुक्तालय स्तर:-

कर्मिक का पद	Verifier 1	Verifier 2	Verifier3	Approver	Mark To
आयुक्तालय में कार्यरत संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक ग्रेड प्रथम/द्वितीय	CED_Est_C CE	CED_EO_ Adm	CED_AD_ Adm	CED_CCE	CED_JD_Ad m

महाविद्यालय स्तर:-

कर्मिक का पद	Verifier 1	Verifier 2	Verifier3	Approver	Mark To
महाविद्यालय में कार्यरत संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, निजी सहायक ग्रेड प्रथम/द्वितीय,	Principal/ Assistant Director / Officiating Principal	CED_EO_ Adm	CED_AD_ Adm	CED_CCE	CED_JD_A dm

RajKaj Ref  
7496419



Signature valid

Digitally signed by Pankaj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.05.27 22:02:44 IST  
Reason: Approver

नोट:-

1. अशैक्षणिक कार्मिकों को विदेश यात्रा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राजकाज (HRMS) पर NOC Portal के द्वारा ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।
2. ई-मेल, ई-डाक तथा हार्ड कॉपी द्वारा किये गए आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
3. राजकाज (HRMS) पर NOC Portal के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को [rajkaj.rajasthan.gov.in](http://rajkaj.rajasthan.gov.in) के knowledge Bank Tab पर No Objection Certificate link पर उपलब्ध गाइडलाइन (Pdf and Video guide) से समझा जा सकता है।
4. कार्मिक स्वयं की SSO-ID से राजकाज (HRMS) पर NOC Portal के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय उपर्युक्त चैनल के अनुरूप ही Verifiers, Approver एवं Mark To को विनिर्दिष्ट करेगा।
5. उपर्युक्त चैनल के अनुरूप Verifiers विनिर्दिष्ट नहीं होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। कार्मिकों को सलाह दी जाती है की Verifiers विनिर्दिष्टन में पूर्ण सावधानी बरतें।
6. कार्मिक, अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय अद्यतन किये गये प्रारूप को दिये गये निर्देशानुसार भर कर, आवश्यक दस्तावेजों (स्व-प्रमाणित) के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगा।
7. कार्मिक राजकाज (HRMS) पर NOC Portal के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् संबंधित प्राचार्य/सहायक निदेशक को इस बाबत सूचित करेगा।
8. संबंधित प्राचार्य/ सहायक निदेशक न्यूनतम समयावधि में कार्मिक के आवेदन को अपनी SSO-ID से राजकाज (HRMS) पर NOC Portal के द्वारा ऑनलाइन ही स्पष्ट टिप्पणी के साथ अग्रेषित करेंगे।
9. राजकाज (HRMS) पर NOC Portal के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यकता होने पर तकनीकी सहायक के लिए प्रो. विवेक मानडोट, नोडल अधिकारी, आई. टी. से कार्यालय समय में मोबाइल नंबर 7821869069 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पुखराज सेन

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. सयुक्त निदेशक / प्राचार्य / सहायक निदेशक को उचित कार्रवाई हेतु।
2. सारिणी में वर्णित समस्त कार्मिकों को पालनार्थ।
3. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

RajKaj Ref  
7496419

Signature valid

Digitally signed by Pukiraj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.05.27 22:02:44 IST  
Reason: Approved